न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/223
दायरा तिथि : 25.05.2022
फैसला तिथि : 21-10-2022

प्रार्थी:–
भगाराम गोद पुत्र हेमाजी जाति जणवा चौधरी
निवासी खुडाला तहसील बाली जिला पाली

बनाम

अप्रार्थी :–

1. कानाराम पुत्र गोपा
2. राधा पत्नी गोपा जातिगण माली निवासीगण खुडाला तहसील बाली

–:: आदेश ::– **दिनांक** 21-10-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण भगाराम गोदपुत्र हेमाजी एवं अनाराम पुत्र भूताजी ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर उनके द्वारा ग्राम खुडाला में धारित सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 583 रकबा 0.9100 हैक्टर में दर्ज प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान का नाम सेग्रीगेशन/तहसील ऑनलाइन के दौरान बिना किसी आदेश के विलोपित करते हुये अप्रार्थीगण कानाराम पुत्र गोपा व राधा पत्नी गोपा के नाम दर्ज करने से सेग्रीगेशन पूर्व की स्थिति अनुसार खसरा नंबर 583 अप्रार्थीगण कानाराम पुत्र गोपा व राधा पत्नी गोपा के नाम विलोपित करते हुये प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम सेग्रीगेशन पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज रजिस्टर किय जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार बाली से रिकार्ड की जांच करते हुये तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण कानाराम पुत्र गोपा व राधा पत्नी गोपा ने व्यक्तिशः इस न्यायालय में उपस्थित होकर शपथपत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 583 की भूमि में अपना नाम गलत रूप से दर्ज होने से सेग्रीगेशन पूर्व की स्थिति अनुसार प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के खाते में दर्ज किये जाने बाबत सहमति व्यक्त की। तहसीलदार बाली ने तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि तकनीकी कारणों से ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 583 रकबा 0.9100 हैक्टर को पूर्व की भांति वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 49 में दर्ज किये जाना उचित बताया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम खुडाला के खसरा नंबर 583 रकबा 0.9100 हैक्टर के साथ में अन्य खसराजात की कुल 10.42 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण भगाराम गोदपुत्र हेमा व अनाराम पुत्र भूता व अन्य सहखातेदारान के सहखातेदारी में संवत 2072 से 2075 कह जमाबंदी में दर्ज होना प्रमाणित है। ग्राम खुडाला के खाता संख्या 49 की सेग्रीगेशन क पश्चात की जो जमाबंदी प्रस्तुत की गई है। उसमें दर्ज इन्द्राज के अध्ययन से खाता नं. 49 में खसरा नंबर 572 से 582 व 584 से 590 कुल खसरा 18 कुल रकबा 9.5100 हैक्टर ही भूमि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध सेग्रीगेशन के पश्चात की ग्राम खुडाला के गत खाता संख्या 37 तथा हाल खाता संख्या 38 की जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 583 रकबा 0.9100 हैक्टर अप्रार्थीगण कानाराम पुत्र गोपा व राधा पत्नी गोपा के नाम दर्ज होना भी प्रमाणित है। इस प्रकार उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि प्रार्थीगण व अन्य सहखातेदारान के ग्राम खुडाला के खाता संख्या 49 में धारित की जा रही कुल 19 खसरों की भूमि कुल रकबा 10.42 हैक्टर में से सेग्रीगेशन के दौरान खसरा नंबर 583 को बिना किसी आधार/अधिकार के विलोपित करते हुये खसरा नंबर 583 को नया खाता संख्या 37 में अप्रार्थीगण कानाराम पुत्र गोपा व राधा पत्नी गोपा के नाम त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज कर दिया गया है। जिस त्रुटि को अप्रार्थीगण कानाराम पुत्र गोपा व राधा पत्नी गोपा अपने शपथ पत्र के माध्यम से दुरस्त कराने हेतु सहमत है तथा भूमिधारी तहसीलदार बाली भी अपनी रिपोर्ट में तकनीकी कारणों से उक्त त्रुटि को स्वीकार करते हुये वर्तमान जमाबंदी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 49 में खसरा नंबर 583 रकबा 0.9100 हैक्टर की भूमि को पूर्व की भांति दर्ज किये जाने की सहमति प्रदान करते है।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम खुडाला स्थित भूमि खसरा नंबर 583 रकबा 0.9100 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार अप्रार्थीगण कानाराम पुत्र गोपा व राधा पत्नी गोपा के नाम विलोपित कर माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली सेग्रीगेशन से पूर्व की स्थिति अनुसार वर्तमान जमाबंदी सवंत 2076 से 2079 में ग्राम खुडाला के हाल खाता संख्या 49 में करते हुये प्रार्थीगण व रेकर्ड में दर्ज अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्सानुसार दर्ज करने के आदेश किये जाते है। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, खुडाला को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 21-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) *